राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2657/2023

विजेन्द्र कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.10.2023
आदेश की दिनांक : 06.10.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री मुकेश कुमार मीणा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयन हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। कांउसलिंग के दौरान अपीलार्थी द्वारा नीम का थाना में पदस्थापन चाहा गया था, परंतु महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Ganwari जो कि नीम का थाना जिले में है, उसे सीकर जिले में दर्शाया गया है। इस कारण से अपीलार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Ganwari के लिए अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। बाद में जो पदस्थापन आदेश दिनांक 02.10.2023 को जारी किया गया है, उसमें गलत रूप से महात्मा गांधी विद्यालय, Ganwari को सीकर जिले में होना दर्शाते हुए अपीलार्थी से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पदस्थापन Ganwari किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कांउसलिंग के समय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Ganwari नीम का थाना जिले में नहीं दिखायाया गया। इसलिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Ganwari नीम का थाना में पदस्थापन से वंचित हो गया।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह

स्पष्ट होता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2023 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय Ganwari को सीकर में होना दर्शाया गया है, जो प्रथम दृष्टया गलत है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण न किये जाने तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.10.2023 की पालना में कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)